न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 01 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 2

बूटा सिंह पुत्र शेर सिंह जाति बावरी निवासी 1 जी एम–बी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज0

–अपीलार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बूटा सिंह जाति बावरी निवासी 1 जी एम–बी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज0
2. भगवान सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति बावरी निवासी 1 जी एम–बी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज0
3. इकबाल सिंह पुत्र भगवानाराम जाति बावरी निवासी 1 जी एम–बी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज0

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा जरिए अधिवक्ता अपील प्रकरण प्रस्तुत किया गया लेकिन अधिनियम की धारा 17 में पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा किया जाना वर्जित किया गया हैं। इसलिए अपीलार्थी को सुना जाकर अपील दर्ज कर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना के आदेश दिनांक 01.08.2023 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की हैं। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

प्रत्यर्थीगण के उपस्थित होने पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को अपील पर सुना गया। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अपनी लाखों की भूमि प्रत्यर्थीगण के पक्ष में जरिए दान पत्र दस्तावेज उप पंजीयक से पंजीबद्ध करवा दी। उक्त भूमि ही अपीलार्थी के भरण पोषण का एकमात्र साधन था। दान के जरिए भूमि का इन्तकाल होने के बाद अप्रार्थीगण ने अपीलांट का भरण पोषण करना बंद कर दिया और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण से प्रतिमाह 10000 रू प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिलवाने के साथ अपीलांट द्वारा दान में दी गयी भूमि के दान पत्र को शून्य घोषित करने हेतु निवेदन किया गया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2023 के द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कुल 3000 रूपये प्रतिमाह दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। जो राशि बहुत कम हैं। प्रार्थी के गुजारा भत्ता हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त कर भूमि के दान पत्र को शून्य घोषित करते [illegible] रूपये प्रतिमाह के हिसाब से भरण पोषण भत्ता दिलाये जाने को लिए निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा अपीलार्थी के [illegible] पोषण हेतु कभी इन्कार नहीं किया गया हैं। अपील [illegible] के कारण पोषणीय नहीं हैं। खारिज करने के लिए निवेदन किया। इस पर [illegible]पक्ष को सुनने के दौरान उभयपक्ष द्वारा प्रकरण सुलह हेतु किन्ही वरिष्ठ का पैनल बनाकर उन्हें प्रेषित करने के लिए निवेदन किया। अधिनियम की धारा 16(4) में निर्देश हैं कि -- **"अपील अधिकरण, अपील और मंगाए गए अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा।"** अतः प्रकरण किसी पैनल को प्रेषित करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती हैं। अपील अधिकरण द्वारा सुलह का प्रयास उभयपक्ष से बातचीत द्वारा किया गया लेकिन उभयपक्ष में पारिवारिक झगड़े

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

एवं आपसी मनमुटाव होने के कारण दोनों पक्ष किसी समझौते पर सहमत नहीं

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्र.सं. 02/2023 बुटा सिंह बनाम रामजीलाल आदि निर्णय दिनांक 01.08.2023 का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह निष्कर्षतः अंकित किया हैं कि अपीलार्थी बूटा सिंह को एकल वृद्ध नागरिक जिसकी उम्र 90 वर्ष है तथा स्वयं के भरण पोषण हेतु मेहनत मजदूरी करने में समर्थ हैं। प्रकरण में अप्रार्थीगण प्रार्थी की देखरेख नहीं कर रहे हैं ऐसा पाया जाता हैं। वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उसके बालिग पुत्र व पुत्री के साथ उसके पोत्रों की होती है।

राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 13(3) के अनुसार किसी आवेदक को भरणपोषण का संदाय करने के लिए विरोधी पक्षकारको निदेश करने वाला कोई आदेश करते समय अधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा :–

(क) आवेदक द्वारा उसकी बुनियादी आवश्यक्ताओं विशेषतः भोजन, कपड़े, आवास और स्वास्थ्य देखभाल को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम

(ख) विरोधी पक्षकार की आय, और

(ग) आवेदक की सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो विरोधी पक्षकार को विरासत में प्राप्त होगी और/या उसके कब्जे में है, का मूल्य और उसमें वास्तविक और संभाव्य आय।

- **नियम 14 के अनुसार अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जिसका संदाय करने के लिए अधिकरण विरोधी पक्षकार को आदेश कर सकेगा, अधिकतम दस हजार रूपये प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति से नियत किया जायेगा कि वह, आवेदक या आवेदकों को विरोधी पक्षकार के परिवार के सदस्यों में गिनते हुए, विराधी परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित, समस्त स्त्रोतों से उसकी मासिक आय से अधिक न हो।**

अधिनस्थ द्वारा पारित निर्णय में प्रार्थी को अप्रार्थीगण से प्रति माह 1000/– की दर से कुल 3000/– अखरे तीन हजार रूपये नगद राशि प्रार्थी को भुगतान करने या उसके खाता में जमा करवाये जाने के आदेश दिऐ हैं, जो कि प्रार्थी के गुजाराभत्ता हेतु बहुत कम रकम है, चूंकि अपीलार्थी एकल वृद्ध नागरिक हैं जो स्वयं मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं। जिसे अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा भी अपने निर्णय में स्वीकार किया गया हैं। अतः प्रकरण में अपीलार्थी की स्थिति देखते हुए भरण पोषण की राशी को बढाया जाना उचित हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट घड़साना के निर्णय दिनांक 01.08.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 को निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपीलार्थी को कुल रूपये 9990/– (प्रत्येक 3330 रू.) अखरे नौ हजार नौ सौ नब्बे रूपये भरणपोषण राशि(निर्वाह भत्ता) प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व अपलार्थी के बैंक खाता में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। भरण पोषण की राशि अधिनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 07.06.2022 से देय होगी। आज दिनांक तक भुगतान से शेष राशि प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के बैंक खाता में निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर जमा करवानी होगी।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:50 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)